प्रवेश के लिये आवश्यक निर्देश (एम0ए0 / एम0एस0सी0 I)

प्रत्येक प्रवेशार्थी को प्रवेश के समय निर्धारित फार्म के साथ निम्नलिखित परिपत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा मूल प्रमाणपत्र प्रवेश के समय समिति के सम्मुख प्रदर्शित करने होंगे। मूल प्रमाणपत्र प्रदर्शित न करने पर प्रवेश नही मिलेगा।

1. अर्हकारी स्नातक परीक्षा की Pass हुई अंक तालिका संलग्न करें।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति एंव अन्य पिछड़ी जाति के प्रवेशार्थी, जाति प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें।
3. प्रवेश प्रार्थना–पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ फोटो सहित प्रस्तुत करें।
4. प्रवेश के समय सभी हाईस्कूल, इण्टर एंव स्नातक की तीनों वर्षो की अंकतालिकाओं एंव आधार कार्ड की मूल प्रति एंव छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
5. प्रवेश फार्म के साथ टी0सी0 एंव चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति लगानी अनिवार्य है।
6. प्रवेश फार्म फोटो लगा हुआ व सभी प्रमाण पत्रों की हस्ताक्षर सहित कापी व आन–लाईन फीस जमा करने की सभी रसीद सहित कालेज के आफिस में जमा करनी होगी।
7. Computer & Proctorial Board Card (फोटो सहित) तथा affidavit form, Proctor Office में जमा करके ID Card के लिये एक फोटो (टिकट साईज) लानी अनिवार्य है। आई–कार्ड प्रवेश के समय ही बनेगें।
8. केवल प्रवेशार्थियों को ही प्रवेश के समय कालेज में आने की अनुमति है।
9. (क) अनुसूचित जाति / अनुसूचति जनजाति के छात्र / छात्राओं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) रूपये तक है, उनकी शुल्क प्रतिपुर्ति धनराशि छात्रवृत्ति फार्म भरने के पश्चात उनकी छात्रवृत्ति राशि के साथ निदेशालय लखनऊ से सीधे छात्र / छात्रा के खाते में आ जायेगी।

   (ख) छात्रवृत्ति के फार्म के साथ उनमें लिखे गये सभी प्रमाण–पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर लगाने होंगे।
10. कोविड–19 के कारण कालेज परिसर में मास्क लगाकर आना व सोशल–डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य है।
11. कोविड–19 के कारण आन–लाईन कक्षायें चलेंगी। अतः सभी विद्यार्थियों के लिये प्रवेश फार्म में अपना व्यक्तिगत Whatsapp No. तथा E-mail. ID देनी अनिवार्य है।
12. प्रवेश आफ–लाइन होगा।
13. आन–लाईन पाठ्यक्रम के लिये ई–कन्टेन्ट कालेज की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिये विश्वविद्यालय की वेबसाइट भी देख सकते हैं।
14. शपथ–पत्र एंव Affidavit by the student पर केवल विद्यार्थी के हस्ताक्षर होंगे। किसी भी तरह की नोटरी से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है।
15. सत्र 2020–21 से कालेज में विद्यार्थियों के लिये यूनिफार्म का निम्न प्रावधान लागू कर दिया गया है–

    (क) छात्र सफेद कमीज व काली पेन्ट।

    (ख) छात्रा नेवी ब्लू कुरता व सफेद सलवार तथा सफेद दुपट्टा।

    (ग) पैरों में केवल जूते / सैण्डिल की ही अनुमति है।

प्राचार्य